संख्या-115/**202**6/221/**26-27-सिं0-04/00**2-58(**डब्ल्यू)**/2008-**ई-1746609**

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:** 16 **फरवरी, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख अभियन्ता, आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4257/आई0बी0/टी0 एण्ड पी0/2025-26, दिनांक 14.01.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ**0**प्र**0**, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष **2025-26** में लेखा शीर्षक **4700** मुख्य सिंचाई एवं **4701** मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत टी**0** एण्ड पी**0** मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू**0 4800.00** लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष धनराशि रू**0 1134.50** लाख में से रू**0 638.00** लाख (रूपये छः करोड़ अड़तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के स्तम्भ-2 एवं 3 के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	**संगठन का नाम**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**
4700-80-052-07-0703-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(नवीन सम्पूर्ति)**		
1	मुख्य अभियन्ता (गंगा), मेरठ	24.00
	कुल योग(4700-03-12)	**24.00**
4700-80-052-07-0703-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र **(नवीन सम्पूर्ति)**		
2	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ	10.50
3	मुख्य अभियन्ता (यमुना), ओखला	14.00
	कुल योग(4700-03-26)	**24.50**
4700-80-052-07-0704-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(मरम्मत)**		
4	अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन), लखनऊ	0.50
5	मुख्य अभियन्ता (शारदा), बरेली	4.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	मुख्य अभियन्ता (यमुना), ओखला	10.00
7	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन बेतवा लिंक (नहर निर्माण), झांसी	2.00
8	मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-प्रथम) अयोध्या	2.00
9	मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), कानपुर	25.00
10	मुख्य अभियन्ता (गंगा), मेरठ	10.00
	कुल योग(4700-04-12)	**53.50**
4700-80-052-07-0704-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र **(मरम्मत)**		
11	मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-प्रथम) अयोध्या	1.50
	कुल योग(4700-04-26)	**1.50**
4700-80-052-07-0705-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(गाड़ी भाड़ा)**		
12	मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) लखनऊ	1.50
13	मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर	10.00
14	मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-प्रथम) अयोध्या	16.00
15	मुख्य अभियन्ता (गंगा), मेरठ	20.00
16	मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-द्वितीय) गोण्डा	5.00
	कुल योग(4700-05-12)	**52.50**
4700-80-052-07-0705-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र **(गाडी भाड़ा)**		
17	मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-प्रथम) अयोध्या	60.00
18	मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) लखनऊ	5.00
19	मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी	15.00
20	मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा) मुरादाबाद	20.00
21	मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी	5.00
	कुल योग(4700-05-26)	**105.00**
	कुल योग 4700	**261.00**
4701-80-052-03-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र **(नवीन सम्पूर्ति)**		
22	मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन), लखनऊ	2.50
23	मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन), लखनऊ	222.00
	कुल योग(4701-03-26)	**224.50**
4701-80-052-04-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(मरम्मत)**		
24	मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-प्रथम) अयोध्या	5.00
25	मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) लखनऊ	10.00
26	मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी	8.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी	13.00
28	मुख्य अभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज	7.00
	कुल योग(4701-04-12)	**43.00**
4701-80-052-04-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र (मरम्मत)		
29	मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) लखनऊ	5.00
30	मुख्य अभियन्ता (बेतवा), झांसी	5.50
31	मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन), लखनऊ	7.00
	कुल योग(4701-04-26)	**17.50**
4701-80-052-05-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(गाड़ी भाड़ा)**		
32	मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी	10.00
33	मुख्य अभियन्ता (शारदा), बरेली	15.00
34	मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-प्रथम) अयोध्या	12.00
35	मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं समन्वय) लखनऊ	5.00
36	मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) लखनऊ	10.00
	कुल योग(4701-05-12)	**52.00**
4701-80-052-05-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र **(गाड़ी भाड़ा)**		
37	मुख्य अभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज	25.00
38	मुख्य अभियन्ता (शारदा) बरेली	10.00
39	मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी	5.00
	कुल योग(4701-05-26)	**40.00**
	योग (4701)	**377.00**
	कुल योग (4700+4701)	**638.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित संगठनों को स्तम्भ-3 के अनुसार टी0 एण्ड0 पी0 मद से अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी0एम0-8 प्रपत्र पर उपलब्ध कराते हुए आगामी मांग के प्रस्ताव के साथ उक्त धनराशि राजकोष से आहरित कर व्यय किये जाने का प्रमाण कोषवाणी सहित उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे व प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा संकलित कर उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत/अनुमोदित प्रयोजन पर ही करने का दायित्व सम्बन्धित संगठन के मुख्य अभियन्ता एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4700800520703 (नवीन सम्पूर्ति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4700800520703 नवीन सम्पूर्ति	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	24,00,000 (रुपये चौबीस लाख मात्र)
2	094	4700800520703 नवीन सम्पूर्ति	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	24,50,000 (रुपये चौबीस लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**48,50,000 (रुपये अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4700800520704 (मरम्मत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4700800520704 मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	53,50,000 (रुपये तिरेपन लाख पचास हजार मात्र)
2	094	4700800520704 मरम्मत	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	कुल			**55,00,000** **(रुपये पचपन लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4700800520705 (गाड़ी भाड़ा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4700800520705 गाड़ी भाड़ा	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	52,50,000 (रुपये बावन लाख पचास हजार मात्र)
2	094	4700800520705 गाड़ी भाड़ा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,05,00,000 (रुपये एक करोड़ पाँच लाख मात्र)
	कुल			**1,57,50,000** **(रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520300 (नवीन सम्पूर्ति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4701800520300 नवीन सम्पूर्ति	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2,24,50,000 (रुपये दो करोड़ चौबीस लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**2,24,50,000** **(रुपये दो करोड़ चौबीस लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520400 (मरम्मत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

http://shasanadesh.up.gov.in

1	094	4701800520400 मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	43,00,000 (रुपये तैंतालीस लाख मात्र)
2	094	4701800520400 मरम्मत	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	17,50,000 (रुपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**60,50,000** **(रुपये साठ लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520500 (गाडी भाडा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4701800520500 गाडी भाडा	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	52,00,000 (रुपये बावन लाख मात्र)
2	094	4701800520500 गाडी भाडा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
	कुल			**92,00,000** **(रुपये बानबे लाख मात्र)**

महायोग	6,38,00,000 (रुपये छह करोड़ अड़तीस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

रमा कान्त वर्मा

संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना/यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रमुख अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता, गंगा, मेरठ/यमुना, ओखला/अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल (ज0सं0), लखनऊ/शारदा, बरेली/सरयू, परियोजना-प्रथम, अयोध्या/रामगंगा, कानपुर/गण्डक, गोरखपुर/सरयू परियोजना-द्वितीय, गोण्डा/शारदा सहायक, लखनऊ/सोन, वाराणसी/पूर्वी गंगा, मुरादाबाद/बेतवा, झांसी/सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ/बाणसागर, प्रयागराज/अग्रिम नियोजन, लखनऊ/अनुश्रवण एवं समन्वय, लखनऊ एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन बेतवा लिंक नहर (निर्माण), झांसी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।

6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

7- वरिष्ठ/ मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, बरेली, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, गोण्डा, वाराणसी, मुरादाबाद, झांसी, प्रयागराज।

8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8

9- नियोजन अनुभाग-3

10- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।